(2)

टी0ए0 मिस केस सं0 311/2018-19

दिनांक	आदेश	अभ्युक्ति
05.03. 2019	अभिलेख उपस्थापित। आवेदक **श्री बैगो हेम्ब्रम**, पिता– **स्व0 सिंगराय हैम्ब्रम**, ग्राम– **नाकाहासा**, थाना– **मुफ्फसिल** जिला– पश्चिमी सिंहभूम चाईबासा ने मौजा– नाकाहासा, थाना नं०– 103,खाता नं०– 49प्लॉट नं०–689 एंव 692, रकवा– 0.14 एंव 0.04 एंव कुल रकवा-0.18 एकड़ भूमि क्रेता **श्री तुराम बारी** पिता–**सिकुर बारी**, ग्राम– **नाकाहासा**, थाना– **मुफ्फसिल** के पास में बिक्री के द्वारा हस्तान्तरित करने की मांग की गई है। इस संवंध मे छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम की धारा 46(1) (ए) के अन्तर्गत इस न्यायालय से उपरोक्त प्लॉट की बिक्री हेतु आम सूचना निर्गत किया गया। अंचल अधिकारी, सदर चाईबासा से जाँच प्रतिवेदन की माँग की गई, जो प्राप्त हुआ। विक्रेता के द्वारा भी इस संवंध में आवश्यक दास्तावेज प्रस्तुत किया गया। दास्तावेज के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि **आवेदक के दादा के नाम से खतियान में दर्ज है।** आवेदक का आवेदित भूखंड पर शांतिपूर्ण दखल है। अंचल अधिकारी, सदर चाईबासा का जाँच प्रतिवेदन पत्रांक–177 दिनांक– 22.02.2019 एवं विक्रेता द्वारा प्रस्तुत आवश्यक दस्तावेजों के अवलोकन से ज्ञात होता है कि मकान वनाने हेतु रूप्ये की आवश्यकता होने के कारण भू–खण्ड को क्रेता श्री **तुराम बारी** पिता–**सिकुर बारी**, ग्राम– **नाकाहासा** थाना– **मुफसिल** के पास 95,500.00/– (पंचानवें हजार पांच सौ) में बिक्री करना चाहते हैं। इस संवंध में किसी को किसी प्रकार का आपत्ति प्राप्त नहीं हुआ है। जाँच प्रतिवेदन से यह स्पष्ट होता है कि विक्रेता एवं क्रेता दोनों **मुफ्फसिल** थाना के निवासी है। उक्त दोनों अनुसूचित जन जाति के सदस्य हैं। ग्रामीण मुण्डा का विक्री करने संबंधी अनुशंसा प्रतिवेदन प्राप्त है जो अभिलेख में संलग्न है। उपरोक्त प्लॉट की विक्री के पश्चात् आवेदक के पास शेष 3.00 एकड़ भूमि से ज्यादा बचता है। आवेदक के पास भरण पोषण हेतु पैत्रिक भू–सम्पति समुचित है। अतः अंचल अधिकारी, सदर चाईबासा एवं ग्रामीण मुण्डा द्वारा के अनुशंसा के आलोक में विक्रेता **श्री बैगो हेम्ब्रम**, पिता– **स्व0 सिंगराय हैम्ब्रम**, ग्राम– **नाकाहासा,**, थाना- **मुफ्फसिल**,क्रेता **श्री तुराम बारी** पिता–**सिकुर बारी**, ग्राम– **नाकाहासा** थाना– **मुफ्फसिल** के पास जमीन को कुल 95,500.00/– (पंचानवें हजार पांच सौ)में मौजा– **नाकाहासा**, थाना नं०– 103,खाता नं०– 49प्लॉट नं०–689 एंव 692, रकवा– 0.14 एंव 0.04 **एंव कुल रकवा-0.18 एकड़** जमीन को विक्री करने हेतु छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम की धारा 46 (1)(ए) के अन्तर्गत विक्री द्वारा हस्तांतरण करने की ....स्वीकृति....दी जाती है। लेखापित। भूमि सुधार उपसमाहर्ता सदर चाईबासा। भूमि सुधार उपसमाहर्ता सदर चाईबासा।	

Scanned with CamScanner